संख्या–1957 /सेक–2–पांच–18–7(50)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय,/डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, वाराणसी/बरेली।
2. प्रमुख अधीक्षक, समस्त मण्डलीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/जनपद स्तरीय चिकित्सालय/अन्य चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक :26 जून, 2018**

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जन–मानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–698/91–2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के आधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत 9 सेवायें प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/जनपदीय चिकित्सालय/समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मैनुअल/ऑनलाईन रूप में प्रदान की जा रही है :–

1. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्नवत् 09 सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क0सं0	सेवाओं के नाम
1	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण
2	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन
3	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन
4	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान
5	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन
6	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन
7	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन
8	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन
9	मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी

केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए निम्नानुसार लिये जाने वाले यूजर चार्जेच का निर्धारण निम्न तालिका एवं आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे:–

कम संख्या सेवा	सेवा	स्वास्थ्य विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्दों द्वारा शासकीय सेवायें उपलब्ध करायें जाने पर निर्धारित शुल्क
1.	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण	0	15/–
2.	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन	0	15/–
3.	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
4.	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान	0	15/–
5.	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
6.	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
7.	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
8.	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन	0	15/–
9.	मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–

3. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उसको उपरोक्त यूजर चार्जेच देय नही होंगे।
4. अगर कोई नागरिक ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने निकटतम जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई–सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र ऑपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर–2 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र ऑपरेटर को किया जायेगा।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की संस्था सी0ई0जी0 एवं यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त डिलीवरी प्वॉइंटस यथा–जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली जायेंगी।
6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पाइलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि गो–लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई–फार्म एवं

आवश्यक संलग्नकों को अपलोड़ करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8. बिन्दु संख्या–7 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
9. ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन का निस्तारण विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1) सेक–2–पांच–18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
10. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
11. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
12. क्षेत्रीय कार्यालय एन.आई.सी. लखनऊ।
13. लोक प्रबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव।

G.O. /gyan

संख्या–1957 /सेक–2–पांच–18–7(50)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय,/डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, वाराणसी/बरेली।
2. प्रमुख अधीक्षक, समस्त मण्डलीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/जनपद स्तरीय चिकित्सालय/अन्य चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2018**

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जन–मानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–698/91–2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के आधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत 9 सेवायें प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/जनपदीय चिकित्सालय/समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मैनुअल/ऑनलाईन रूप में प्रदान की जा रही है :–

1. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्नवत् 09 सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क0सं0	सेवाओं के नाम
1	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण
2	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन
3	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन
4	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान
5	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन
6	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन
7	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन
8	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन
9	मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी

केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए निम्नानुसार लिये जाने वाले यूजर चार्जेच का निर्धारण निम्न तालिका एवं आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगेः–

कम संख्या सेवा	सेवा	स्वास्थ्य विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवायें उपलब्ध करायें जाने पर निर्धारित शुल्क
1.	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण	0	15/–
2.	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन	0	15/–
3.	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
4.	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान	0	15/–
5.	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
6.	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
7.	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–
8.	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन	0	15/–
9.	मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/–

3. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उसको उपरोक्त यूजर चार्जेच देय नही होंगे।
4. अगर कोई नागरिक ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने निकटतम जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई–सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र ऑपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर–2 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र ऑपरेटर को किया जायेगा।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की संस्था सी0ई0जी0 एवं यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त डिलीवरी प्वॉइंटस यथा–जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली जायेंगी।
6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पाइलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि गो–लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई–फार्म एवं

आवश्यक संलग्नकों को अपलोड़ करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8. बिन्दु संख्या–7 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
9. ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन का निस्तारण विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी प्रकिया का पालन करते हुए किया जायेगा जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

/

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या–1957 (1) सेक–2–पांच–18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
10. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
11. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
12. क्षेत्रीय कार्यालय एन.आई.सी. लखनऊ।
13. लोक प्रबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Niraj Shukla

(नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव।